ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः .... दिनांक ....

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्षा,
   स्नातकोत्तर विभाग,
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
   (स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः–स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– (2021–23) में नामांकन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– 2021–23 मे नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट (www.lnmu.ac.in) पर जारी कर दी गयी है, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि ***दिनांकः– 25.03.2022 से 05.04.2022 तक*** चयनित छात्र / छात्राओं का नामांकन आवंटित विभाग / महाविद्यालयों में जाँचोपरान्त सुनिश्चित किया जाय। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगेः–

1. छात्र / छात्रा अपना चयन–पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाईट से यूजर आई–डी एवं पासवर्ड (User I.D and password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे नामांकन के समय उनको सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। आप यह सुनिश्चित कर लेंगे कि छात्र / छात्रा इसी विभाग / महाविद्यालय के लिये चयनित हुए है।
2. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार से सही पाये जाने की स्थिति में हीं नामांकन की अनुसंशा करेंगे।
3. स्नातकोत्तर में नामांकन CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर नामांकन के लिये प्रतिष्ठा (Honours) विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अनुषांगिक (Subsidiary), सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे छात्र / छात्रा नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
4. यदि छात्र / छात्राओं द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक भरें हैं तो ऐसे छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाय।
5. विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य छात्रों का किसी भी परिस्थिति में आवेदित ***विषय*** को परिवर्तन कर नामांकन नहीं लेंगे।
6. यदि छात्र / छात्रा आरक्षरण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं तो ऐसे छात्र / छात्राओं के आरक्षण कोटि के प्रमाण–पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। छात्र / छात्राओं द्वारा इतर आरक्षण कोटि के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्र / छात्राओं का नामांकन नहीं लेगे।

7. कोटा से संबन्धित नामांकन की सूची विश्वविद्यालय द्वारा बाद में जारी की जायेगी, अतएव विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य अपने स्तर से किसी भी कोटा सीट के अन्तर्गत नामांकन नहीं लेंगे।

8. नामांकन के समय छात्र / छात्राओं को निम्नांकित अभिलेखों को संलग्न कर नामांकन लेना अनिवार्य होगा:–

क) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सी0 ऐ0 एफ0)

ख) चयन–पत्र (सेलेक्शन लेटर)।

ग) मूल अंक–पत्र की छाया–प्रति / विश्वविद्यालय वेबसाईट से प्राप्त अंक–पत्र की प्रति (केवल ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय के सत्र–2018–21 के लिये)। (स्नातक स्तरीय)

घ) महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्राधिन अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयो के स्नातक सत्र– 2018–21 का सारणीयन–पंजी (TR) एवं अंक–पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है, जिस कारण छात्र / छात्राओं को महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र (CLC) निर्गत करने में कठिनाई हो रही है। अतएव छात्र हित में अनुरोध है कि सत्र–2018–21 के छात्र / छात्राओं जिनका महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र उपलब्ध नही है, वैसे छात्र / छात्राओं का विश्वविद्यालय के वेबसाईट से डाउनलोड किये गये अंक–पत्र के आधार पर तत्काल औपबंधिक नामांकन लेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जब सत्र– 2018–21 का सारणीयन–पंजी (TR) एवं मूल अंक–पत्र उपलब्ध करा दी जायेगी तब ऐसे नामांकित छात्र / छात्राओं को अविलम्ब इसकी सूचना देकर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र (CLC) एवं अंक–पत्र की छाया–प्रति अपने संबंधित महाविद्यालय से लाकर अनिवार्य रूप से जमा करने हेतु निर्देशित किया जाय उसके उपरान्त हीं नामांकन वैध माना जायेगा।

ङ) प्रवेश पत्र की छाया–प्रति। (स्नातक स्तरीय)

च) पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियाँ।

छ) आरक्षण कोटि प्रमाण–पत्र आदि जहाँ लागू हो।

ज) आधार कार्ड की छाया–प्रति। (यदि हो)

झ) दिव्यांग कोटा के अधिन वैसे छात्र / छात्रा नामांकन के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो एवं सक्षम पदाधिकारी यथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल वोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे छात्र / छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाय।

ञ) राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को नामांकन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी जो नामांकन में आरक्षण कोटा का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र होना चाहिये। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय–पत्र मान्य नहीं है। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे छात्र / छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाय।

ट) प्रव्रजन प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जहाँ लागू हो, ***पंजीयन के समय नही लेने पर सारी जबावदेही विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य की होगी।***

नोटः–

1. स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के ई–मेल पर डैस–बोर्ड की लिंक भेज दी गयी है, छात्रों की चयन सूची डाउनलोड कर मिलान करते हुए छात्र/छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक–06.04.2022 से वर्ग प्रारंभ किया जाना है। नामांकित छात्रों का प्रेरण–वर्ग (**Induction Programme**) के कार्यक्रम का फोटो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
3. सभी विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षा, नामांकित छात्र/छात्राओं का नामांकन सूची Update हेतु विहित प्रपत्र में बनाकर जिसमें 1. नाम 2. विषय 3. फॉर्म आई0 डी0 नं0 4. वर्ग क्रमांक 5. महिला/पुरूष 6. आरक्षण कोटि आदि दिनांक–07.04.2022 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे।
4. स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, नामांकित छात्र/छात्राओं का **Dash Board** पर **Updation** अधिकतम –07.04.2022 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। **Update** करने में यदि किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें। जिन छात्रों के नामांकन को महाविद्यालय द्वारा **Dash Board** पर **Update** नहीं किया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि संबंधित छात्र/छात्रा नामांकन हेतु महाविद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए। फलतः उन सीटों को रिक्त मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय सूची जारी किया जायेगा।
5. परीक्षा संबंधी विनयमन के अनुसार छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूचनाऐं सभी विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य ससमय परीक्षा नियंत्रक को दे देंगे।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डॉ0 विजय कुमार यादव)

अध्यक्ष,छात्र–कल्याण

ज्ञापांक छा० क० 38/22

दिनांक 24/03/2022

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. **कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव** के निजी सहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ।
2. **नोडल पदाधिकारी,** (विश्वविद्यालय वेबसाइट) ल0 ना0 मि0 वि0, दरभंगा।
3. **प्रभारी सहायक, स्नातकोत्तर सामान्य शुल्क संग्रह पटल,** ल0 ना0 मि0 वि0, दरभंगा।
4. **निदेशक**, यू0 एम0 आई0 एस0 सेल, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

24/03/2022

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण

24/03/22